राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 24 / 2021

1. पारसमल पुत्र आसुराम गुर्जर निवासी गोवर्धनपुरा तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा।

बनाम

1. उदयराम पुत्र बीरम गुर्जर निवासी गोवर्धनपुरा तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाड़ा।

–प्रार्थी

–विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा, पट्टा संख्या 07 दिनांक 20.02.2013।

उपस्थित –

1. श्री अम्बालाल कुमावत – अधिवक्ता निगराकार।
2. श्री भोपाल लाल गुर्जर – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1।

:निर्णय:

निर्णय दिनांक :02.06.2023

निगराकार द्वारा जरिये अधिवक्ता यह निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के नाम विधि विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी कराया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। गैर निगरकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 से मिलाभगती कर आम रास्ते की सार्वजनिक भूमि का पट्टा जारी करा लिया जबकि मौके पर निगराकार की भूमि पास ही स्थित है, पट्टाशुदा भूमि पर गैर निगराकार संख्या 01 का कभी भी कब्जा नही रहा है न ही उपयोग उपभोग आदि रहा है फिर भी गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 से मिलाभगती कर पट्टा जारी करवाया है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया वह भूमि ग्राम पंचायत की भूमि नहीं है। गैर निगराकार संख्या 01 को पूर्व में कार्यालय पंचायत समिति माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा नोटिस कमांक 1347 दिनांक 09.07.2019 जारी किया गया तथा गैर निगराकार संख्या 01 की कब्जाशुदा भूमि को अवैध अतिक्रमण मानते हुए खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है, फिर भी गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 से मिलाभगती कर यह पट्टा जारी कराया है, जो निरस्त होने काबिल है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में आगे अंकन किया गया कि उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड में काफी पुराने समय से एक कच्चा केलू खपरैल का कमरा बना हुआ था तथा यहा पर पशुधन रखा जाता है व गोबर एवं रोडी खाद आदि डाल रखे हैं। जो कच्चा कमरा था वह बारिश की वजह से ही काफी पुराना होने से गिर गया था जिस पर जवाबदार द्वारा पुनः निर्माण किया तथा विवादित स्थल मौके पर एक आवासीय मकान व भूखण्ड के रूप में गैर निगराकार संख्या 1 जवाबदार के द्वारा काम में लिया जा रहा है यहां पर कोई रास्ता ना तो कभी था ना ही है, निगराकार के मकान पर जाने–आने का रास्ता अलग है। तथाकथित भूखण्ड ग्राम गोवर्धनपुरा की आबादी में है तथा आस–पास काफी बस्ती होकर मकान बने हुए है इस प्रकार से यह आबादी भूमि है इसलिए गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा ने विधिवत प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया है जो किसी सूरत में निरस्त होने योग्य नहीं होकर बहाल रखा जाने योग्य है। कार्यालय पंचायत समिति माण्डल द्वारा अतिक्रमण बाबत् कोई नोटिस गैर निगराकार संख्या 1 को नहीं दिया गया। निगरानीधीन पट्टा विधिवत रूप से पंचायतीराज अधिनियम की पालना करते हुए जारी किया गया है जो खारिज होने योग्य नहीं होकर बहाल रखे जाने योग्य है।

प्रकरण में गैर निगराकार संख्या 01 का जवाब प्राप्त होने के उपरान्त प्रश्नगत स्थल के संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डल द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 2468 दिनांक 21.12.2022 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि दिनांक 20.12.2022 को प्रश्नगत स्थल का मौका निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि मौके पर प्लाट पर चारों तरफ सीमेन्ट की बड़ी ईंटों से कच्ची दीवार बना रखी है जिस पर चद्दर लगा रखा है तथा गांव में रहने के लिए पर्याप्त आवास बना हुआ है।

दिनांक 27.03.2023 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता निगराकार द्वारा अपनी बहस में निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार संख्या 02 ने गैर निगराकार संख्या 01 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी का आवेदन पत्र स्वीकार कर गैर निगराकार संख्या 01 को गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 20.02.2013 निरस्त कराया जावें। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीधीन पट्टा विधिवत रूप से पंचायतीराज अधिनियम की पालना करते हुए जारी किया गया है जो खारिज होने योग्य नहीं होकर बहाल रखे जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी खारिज फरमावें।

प्रकरण में उपभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत संमिति, माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं प्रश्नगत स्थल के फोटोग्राफ्स से स्पष्ट हो रहा है कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा प्रश्नगत भूमि पर कोई मकान नहीं बनाया हुआ है, केवल मात्र सीमेन्ट की ईंटो से एक कच्ची दीवार बना रखी है। साथ ही उक्त मौका रिपोर्ट से यह भी जाहिर होता है कि गैर निगराकार संख्या 01 के गांव में रहने के लिए पर्याप्त आवास भी बना हुआ है, फिर भी ग्राम पंचायत, गोवर्धनपुरा द्वारा पंचायत राज नियमों की अनदेखी करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड को पट्टा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी कर दिया है।

पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत, गोवर्धनपुरा, पंचायत समिति, माण्डल की मिसल संख्या 562 में दायर दिनांक 20.02.2013 एवं फैसल दिनांक 05.02.2013 अंकित की हुई है तथा मिसल की प्रथम आदेशिका की दिनांक 10.08.2012 अंकित की हुई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा कायम की गयी उक्त मिसल ही प्रथमदृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होती है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत, गोवर्धनपुरा को जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें प्रार्थी द्वारा स्पष्ट अंकन किया गया है कि उसके स्वयं का पुश्तैनी जायदाद में 50 वर्ष पुराना मकान बना हुआ है जिसका सनद् पट्टा जारी किया जावें, जबकि पत्रावली में उपलब्ध प्रश्नगत भूखण्ड के फोटोग्राफ्स में कही भी उक्त भूखण्ड पर आवासीय मकान बना होना नहीं दिख रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.10.2012 को आपत्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया, किन्तु पत्रावली में संलग्न आपत्ति पत्र क्रमांक 15 दिनांक 05.03.2012 को जारी हुआ है, जो निर्णय दिनांक से लगभग 07 माह पूर्व का है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.12.2012 की बैठक में गैर निगराकार संख्या 01 को पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(2)(ख) अनुसार चयनित परिवारों को रियायती दर पर कमजोर वर्गों को भूखण्ड आवंटन निःशुल्क पट्टा जारी करने का निर्णय लिया, जबकि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा ग्राम गोवर्धनपुरा आबादी हल्का में 50 वर्ष पुराने मकान का सनद् पट्टे हेतु आवेदन किया गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायत, गोवर्धनपुरा द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने में अपनायी गयी प्रक्रिया संशय पैदा करती है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है एवं ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा, पंचायत समिति, माण्डल की पत्रावली संख्या 562 आदेश दिनांक 10.12.2012/20.02.2013 की पालना में गैर निगराकार संख्या 01 उदयराम पुत्र भीरम गुर्जर निवासी गोवर्धनपुरा के पक्ष में जारी किया गया पट्टा नियम विरूद्ध जारी होना सिद्ध होता है।

अतएव—

आदेश

अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा, पंचायत समिति, माण्डल की पत्रावली/मिसल संख्या 562 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2012/20.02.2013 एवं उक्त आदेश से जारी किया गया पट्टा संख्या 07 दिनांकित 20.02.2013 विधिविरूद्ध एवं अवैध होने से निरस्त/अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ मय अधीनस्थ न्यायालय का तलबिदा रिकॉर्ड ग्राम पंचायत, गोवर्धनपुरा, पंचायत समिति, माण्डल, जिला भीलवाड़ा को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/6/23

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा